EF 2178 82 36 37/1/

स्पांड पोस्ट जिला कि का के जावंट मुस्सा ५९८६ प्रेमक प्रकाश कुमार, अमायुक्त, विहार

संख्या-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0- ६६ बिहार सरकार,

जिला पदाधिकारी,

भोजपुर (आरा)/समस्तीपुर/सारण(छपरा)/ सीवान/पटना/औरंगाबाद/कटिहार ।

पटना, दिनांक :- (१-८१: १८

आय-व्ययक शिर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण- मांग संख्या-26उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण (विपन्न कोड-P-2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1455 दिनांक 18.05.15 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित " बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रू० 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र॰सं॰	प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	बाल	आवंटित
			श्रमिकों	राशि
T and			की संख्या	
1	2	3	4	5
1	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	भोजपुर (आरा)	21	105000
/2	तदैव	समस्तीपुर	27	135000
3	तदैव	सारण(छपरा)	36	180000
4	तदैव	सीवान	17	85000
5	तदैव	य टना	21	105000
6	तदैव	औरंगाबाद	14	70000
7	तदैव	कटिहार	29	145000
	कुल यो	ग्	165	825000

कुल आवंटित राशि रूपये आठ लाख पच्चीस हजार मात्र ।

- 2. वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि॰ दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- 3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- 4. इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन योजना से संबंधित है।

विश्वासी जन, (प्रकाश कुनाई) पु श्रमायुक्त, बिहार ज्ञापांक-6/एफ1-306/2015 श्र**0सं**0- ६६ पटना, दिनांक पि-८८ प्रितिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(प्रकाश कुमार) ॥ श्रमायुक्त बिहार

*स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक-6/एफा-306/2015 श्र0सं0- 66 पटना, दिनांक [9-11-15

प्रतिलिपि:-सिंचव के आप्त सिंचव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, 'पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/
*(संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी)/श्रमायुक्त के सिंचव, पटना/ संबंधित उप श्रमायुक्त /संबंधित सहायक
श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक/ आई॰टी॰ मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष
/ सहायक श्रमायुक्त, शोध एवं प्रशाखा-01 श्रम पक्ष को उनके गै॰स॰प्रे॰सं॰-201 (श्रम पक्ष) दि.- 5.11.15 के
आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण–पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा–01) द्वारा किया जायेगा ।

(प्रकाश किया) И श्रमायुक्त, बिहार । И